न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान) कैम्प.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भीराणा व भू.अ.नि. लोसल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../नायब तहसीलदार लोसल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा प0ह0 भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 में खाता संख्या 223 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	राजपुरा प.ह. भीराणा	खाता संख्या - 223	बोदू पुत्र पन्ना	जगदीशप्रसाद पुत्र पन्नाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है किसी भी न्यायालय का स्थान आदेश न हो तो सकते

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:– 15.11.2021

क्रमांक /कैम्प/2021/514

प्रतिलिपि:–

1 तहसीलदार, दांतारामगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।

3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव गावों के अभियान–2021
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर